

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Blind (M.P.)

Case No362 17. Complaint or report madeou
Name and address of the Complainant
Name and address of the Complainant. Straight S
And done Line - Jailet
Name, parentage, caste and address of accused
क्रम्नेल सिंह slo नबलिसेंह खोदी 37 - 32 निकलोड़ सी पाली
ड्रम - 32 निक्लों की पार्ली
थाना - भो हर - जीराहा
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आप पर आरोप है कि दिनांक 1.7:1.0:2.017 मुकाम
त्नी की पाल पर बिना वैद्य अनुप्राशि के अपने
आधिपत्य में लीटर/पाव/बोतल भेडाला शराब विकय/परिवहन हेतु रखी।
ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन इंप्झनीय
अपराध कारित किया।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
The plea of the accused and his examination (if any)
 अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।
and the grant of the same
an 2 " " " " " " " " " " " " " " " " " "

The offence proved. If any and in case under classe(d) classe(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय//

(आज दिनांक 13:12:17 को घोषित)

- 01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि0 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाय एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
 - 02. सिक्षेप्त विचारण किया गया। जतः अभियुक्त की स्वेस्छापूर्वक रवीकारोवित के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य भौजूद नहीं हैं।
 - 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अविध तक की सजा एवं रूपये इल्ले-शब्दों में प्रान्न सो इन्यये रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने परं दिल्ला का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।